न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 9/17/दावा/बउनवान/गोपाल बनाम रामचरण

जीसीएमएस संख्या 2017/00147

1. गोपाल पुत्र धन्नालाल
2. कैलाशबाई पुत्र गोपाल
3. कमलाबाई पुत्र गोपाल
4. सुनीताबाई पुत्र गोपाल

} जातियान मीणा निवासीगण महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र गोपाल
2. नवलकिशोर पुत्र रामचरण
3. ओमप्रकाश पुत्र रामचरण
4. जितेन्द्र पुत्र रामचरण

} जातियान मीणा निवासीगण महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

वकील प्रार्थीगण : श्री बुद्धिप्रकाश मालव

वकील अप्रार्थीगण : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 05.07.2017

निर्णय दिनांक : 23.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना प्रत्र का विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता संख्या 56 खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0, स्थित है प्रार्थीगण अपनी आराजी पर शान्ति–पूर्वक काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है।
2. यह कि अप्रार्थीगण भी ग्राम महुआ तहसील मांगरोल के ही रहने वाले है जो कि लडाकू व झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कि आये दिन गांव में लड़ाई–झगड़ा करते रहते हैं।
3. यह कि अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रार्थीगण के खाते की आराजी ग्राम महुआ तहसील मांगरोल की खाता 56 खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0, पर जबरदस्ती ताकत के बल पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं।
4. यह कि अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0, पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं व प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं।
5. यह कि दिनांक 18.06.2017 को प्रार्थी क्रम 1 अपने खेत ग्राम महुआ खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0, को ट्रेक्टर से हांकने गया तो वहां पर अप्रार्थीगण 1 ता 4 भी प्रार्थी क्रम 1 के पीछे से आराजी पर चले गये व प्रार्थीगण की आराजी में अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर प्रार्थी के ट्रैक्टर के आडे फिर कर रोक लिया व प्रार्थी क्रम 1 के साथ गाली गलौच करने लग गये जिस पर प्रार्थी क्रम 1 ने अप्रार्थीगण से कहा कि तुम बिना वजह ही मुझसे गाली गलौच क्यों कर रहे हो तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी क्रम 1 से कहा

Scanned by CamScanner

कि तुम इस आराजी से अपना कब्जा छोड दो इस आराजी पर हम कब्जा कर काश्त करेगें। पूर्व में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी में काश्त करने में व्यवधान डाल चुके है व आये दिन प्रार्थीगण को अपनी आराजी को काश्त करने से रोकते रहते हैं।

6. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी का पुत्र है व अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 प्रार्थी क्रम 1 के पोते हैं जो कि प्रार्थी की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर प्रार्थी को भूखो मारना चाहते हैं जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी क्रम 1 के चार पुत्रों एक तो अप्रार्थी क्रम 1 व तीन पुत्र महावीर, गजानन्द, व प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद को 3.27 हे0, व महावीर को 3.54 हे0, गजानन्द को 3.27 हे0, व अप्रार्थी क्रम 1 रामचरण को 3.64 हे0, आराजी प्रार्थी क्रम 1 द्वारा दी गई है। चारों पुत्रो में से अप्रार्थी क्रम 1 रामचरण को प्रार्थी द्वारा पूर्व में ही $2\frac{1}{2}$ बीघा आराजी तीनों भाईयों से ज्यादा दी है लेकिन फिर भी अप्रार्थी क्रम 1 जो आराजी प्रार्थी ने अपने खर्चे व पुत्रियों को मानने सावेरने के लिए अपने पास रखी है उस आराजी पर अप्रार्थीगण 1 ता 4 जबरन कब्जा करना चाहते है।

7. यह कि उक्त घटना के बाद से प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण 1 ता 4 को इस सम्मानीय न्यायालय से ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह प्रार्थीगण के खाते की आराजी 56 खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0, ग्राम महुआ तहसील मांगरोल में बलपूर्वक ताकत के बल जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास न करें आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की यथास्थिति बनाये रखें।

8. यह कि अप्रार्थी क्रम 2 व 3 शराबी व आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की आराजी पर कब्जा करने के लिए प्रार्थीगण के साथ कोई भी घटना घटित कर सकते हैं।

9. यह कि अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की आराजी को ताकत के बल पर जबरदस्ती हडपना चाहते हैं जिनका उनको कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। इसलिए न्याय हित में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी व नालिसी है।

10. यह कि प्रार्थीगण आराजी ग्राम महुआ तहसील मांगरोल खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0, के रिकार्डेड खातेदार है तथा आराजी पर कब्जा काश्त भी प्रार्थीगण का ही है अप्रार्थीगण 1 ता 4 तो जबरदस्ती प्रार्थीगण की आराजी में दखलअंदाजी कर प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहते है।

11. यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यो पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रसत आराजी के रिकार्डेड खातेदार है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी से महरूम होना पडेगा तथा अनावश्यक वाद विवाद में उलझना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को अपार आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं होगा।

12. यह कि प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य दोराने बहस प्रार्थना–पत्र मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण 1 ता 4 के विरुद्ध ता फैसला वाद एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि अप्रार्थीगण ग्राम महुआ तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 56 खसरा नं0. 206

Scanned by CamScanner

रकबा 1.92 हे0, पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास न करें या की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की यथास्थिति बनाये रखे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम महुआ तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 56 खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0 आराजी में बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास न करने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खाते की आराजी को ताकत के बल पर जबरदस्ती हडपना चाहते हैं एवं प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा करने पर न केवल प्रार्थीगण को अपने खाते की आराजी से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर भूमि पर ताकत के बल पर अवैध कब्जा किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 ग्राम महुआ तहसील मांगरोल की आराजी खाता संख्या 56 खसरा नं0. 206 रकबा 1.92 हे0 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner